<u>In the Court of Additional Sessions Judge-II, Vaishali at Hajipur.</u>

<u>Sessions Trial No. 103/2024</u>

<u>01-05-2024</u>

सभी (2) काराधीन अभियुक्त राजा कुमार और राम बाबू राय को कारा से न्यायालय में उपस्थित कराया गया।

वाद पुकारा गया। वाद पुकार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 363/34, 365/34, 302/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप गठन किया गया तथा हिन्दी में सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण अपने को निर्दोष बताएँ एवं विचारण की मॉग किये। काराधीन अभियुक्तो को पूनः कारा में भेजा गया। **कार्यालय को निर्देश** दिया जाता हैं कि आरोप पत्र में नामित साक्षियों के विरूद्ध साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें। अभियोजन अपने माध्यम से भी साक्षी को प्रस्तुत करें। **कार्यालय को यह भी निर्देश** दिया जाता हैं कि आरोप गठित होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, वैशाली को करे तथा आरोप पत्र में नामित साक्षियो को प्रस्तुत करने हेतु इस आदेश फलक की प्रति कार्यालय तत्काल प्रेषित करे दे ताकि निश्चित तिथियों पर उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक 15.05.2024 साक्ष्य हेतु

ले0

A.D.J-II

Web Copy not Official